

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 2215/14-1 बिजनौर, दिनांक, जनवरी, 05, 2016।

सेवा में,


मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :- मै० एस्सार ऑयल लिमिटेड नोएडा द्वारा नहतौर-नूरपुर-जोया-अमरोहा मार्ग किमी० 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ तहसील चोंदपुर जिला बिजनौर के खसरा संख्या 147 में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) प्रभावित वन भूमि 0.0751 हे० बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :- **Online submission file no. FP/UP/OTHER/15797/2015**  
महोदय,

उपरोक्त विषयक काम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा **Online submission file no. FP/UP/OTHER/15797/2015** में सी०ए० के०एम०एल० फाइल अन्य विवरण आदि मांगा गया है, के संबंध में आख्या निम्न प्रकार है :-

"It is to certify that as per joint inspection report which is attachment-4. There is no density of vegetation (trees) in the forest land which has to be used by the user agency for the purpose of entry & exit. Therefor cutting and felling of trees (vegetation) is not required. In this view according to guidelines of form part-II at serial no.4 (II) compensatory afforestation is not required.

भुवदीय,  
  
(सलिल कुमार शुक्ला)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(सलिल कुमार शुक्ला)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर।